न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. स्वर्गीय सज्जन सिंह पिता जोरावर सिंह जी के विधिक उत्तराधिकारी :–

1/1. हरीशचन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय सज्जन सिंह जी राजपूत, निवासी टामटिया आड़ा, बांसवाड़ा (राज.)

1/2. विरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय सज्जन सिंह जी राजपूत, निवासी टामटिया आड़ा, बांसवाड़ा (राज.)

1/3. श्रीमती प्रेमकुंवर पुत्री स्व. सज्जनसिंह पत्नी भारतसिंह राजपूत, निवासी चॉदरवाडा, तहसील आनन्द पुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. श्रीमती हंसकुंवर पुत्री स्व. सज्जनसिंह पत्नी अर्जुनसिंह राजपूत, निवासी नाहरपुरा, तहसील आनन्द पुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. बहादुर सिंह पिता जोरावर सिंह जी राजपूत, निवासी टामटिया आड़ा, पटवार हल्का बोरवट, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. राज्य जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 10–07–2017 प्र.सं. 18/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री रमेश रावल अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक

13–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53(2), 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई होकर उनकी पैत्रृक सम्पत्ति आराजी नंबर 73, 102, 104, 156, 268, 378 कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम टामटिया में स्थित है, जिसमें दोनों का समान हक, अधिकार व हिस्सा है। उक्त भूमियों का अभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है, फिर भी प्रतिवादी बहादुरसिंह ने वादी सज्जनसिंह की जानकारी के बगैर उक्त पैत्रृक भूमि में से 15 बीघा भूमि अपने नाम करवा ली है। इस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि मात्र आराजी नंबर 268 रकबा 17 बिस्वा ही वादी के खाते में दर्ज है, शेष पॉचों आराजी नंबर 73, 102, 104, 156, 378 कुल किता 5 रकबा 15 बोघा भूमि प्रतिवादी ने अपने नाम दर्ज करवा ली है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 16–04–1986 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः आराजी नंबर 73, 102, 104, 156, 378 कुल किता 5 रकबा 15 बीघा भूमि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बराबर हिस्से से विभाजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 16–04–1986 निरस्त किया जावे एवं आराजी नंबर 268 रकबा 17 बिस्वा जिस पर वादी ने अपने पुत्रों के लिए भवन निर्माण कई वर्षो पूर्व कर लिया है, उसे बंटवाड़े से मुक्त रखा जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर 6 वाद बिन्दु कायम किये एवं उभयपक्षों को सुनने के बाद पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 10–07–2017 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट बहादुरसिंह के नाम दर्ज आराजी नंबर 102, 104, 156, 378, 566/3 कुल रकबा 15 बीघा भूमि में से आराजी नंबर 104 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि सज्जनसिंह के कब्जे काश्त व बंटवारे में आयी है उसे स्वर्गीय सज्जनसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजीनामे पर स्वयं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बहादुर सिंह ने अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये हैं। अतः अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार को जाकर आराजी नंबर 104 का सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलान्ट सज्जनसिंह के कब्जे काश्त व बंटवारे में आने से स्वर्गीय सज्जनसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास .....प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

स्व.सज्जनसिंह के बजाय हरीशचन्द्र बनाम बहादुरसिंह पिता जोरावरसिंह राजपूत

पिता स्वर्गीय सज्जनसिंह राजपूत, निवासी ग्राम टामटिया आडा, पटवार

नि.टामटिया आडा, बांसवाड़ा व अन्य हल्का बोरवट, तह. बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं॰.....27 / 2011.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....बांसवाड़ा ..... मुकाम.....मुवर्खे.....10.....माह..... 07.....2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13.....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री रमेश रावल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री जयेन्द्र पुरोहित

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोन्डेन्ट बहादुरसिंह के नाम दर्ज आराजी नंबर 104 का सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलान्ट सज्जनसिंह के कब्जे काश्त व बंटवारे में आने से स्वर्गीय सज्जनसिंह के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तुत राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.... X ...)..... रूपये.... X ..

अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....05..... 2019

को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।